राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504)एनएचएम/एचआरडी/2018/1099 दिनांक : 20-07-2018

–: आदेश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रबंधकीय संवर्ग के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञप्ति क्रमांक 237 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में विज्ञापित **फार्मासिस्ट कम स्टोरकीपर (स्टेट ड्रग स्टोर) (आरएनटीसीपी)** के संविदा पद पर पूर्णतया संविदा आधार पर राशि रूपये 12000/– प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर पदस्थापित किया जाता है।

Sr No	Candidate name	Father'S Name	Posting Place
1	रितेश कुमार	सुरेन्द्र सिंह	जोधपुर

नव नियुक्त संविदा कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 30.7.2018** तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर** के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 31.7.2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई–मेल आई.डी. **co.hrd.nhm@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाईन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

नव नियुक्त संविदा कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रू 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त संविदा कार्मिक को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नही होगें। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ठ प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति मे उल्लेखित अनुसार आयु,

शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जॉच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक–एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड मे रखते हुऐ नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। **कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर अविलम्ब भिजवाए।**

उक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(नवीन जैन)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (504)एनएचएम/एचआरडी/2018/1099 दिनांक :20-07-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति0 मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक–जनस्वास्थ्य/आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
8. एसओ –एचआर, एनएचएम।
9. राज्य क्षय रोग अधिकारी, जयपुर।
10. राज्य नोडल अधिकारी, आरएनटीसीपी, जयपुर।
11. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, संबंधित जोन, राजस्थान।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
14. जिला क्षय रोग अधिकारी, जोधपुर।
15. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य),जोधपुर।
16. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक वर्टिकल प्रोगाम जोधपुर।
17. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं कार्यग्रहण करने हेतु पालनार्थ।
18. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई–मेल करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम